

363

239

नं०-3616 / 2018/रीवा/भू-४०

न्यायालय श्रीमान सदस्य राजस्व मण्डल मोती महल ग्वालियर, सर्किट कोर्ट  
रीवा (म०प्र०)



छुस्वा धोबी तनय फतिया धोबी निवासी ग्राम पड़री, तहसील सिरमौर, जिला रीवा  
(म०प्र०) .....निगरानीकर्ता

बनाम

छोटेलाल तनय रामबहोर बरेठा निवासी ग्राम पड़री, तहसील सिरमौर जिला रीवा  
(म०प्र०) .....गैरनिगरानीकर्ता

अधिम० श्री रामजी त निवारी  
द्वारा पेश 12.6.18

निगरानी विरुद्ध आदेश अपर कलेक्टर रीवा  
जिला रीवा (म०प्र०) प्रकरण क्रमांक  
185/अ-6/2015-16 दिनांक 27/ 04/  
2018

अंतर्गत धारा आदेश 50 म०प्र०भू०रा०  
संहिता 1959

मान्यवर,

प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है-

यह कि गैरनिगरानीकर्ता छोटेलाल द्वारा म०प्र०भू०रा० संहिता 1959 की धारा 115, 116 सहपठित धारा 89 के अंतर्गत आवेदन पत्र पेश किया गया कि ग्राम पड़री तहसील सिरमौर जिला रीवा की भूमि खसरा क्रमांक 302/1 रकवा 0.20 ए. का वह भूमि स्वामी है। यह भूमि जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र खरीदी थी जिसमें अंकित चौहद्दी के अनुसार मौके पर वह कांभिज है। पटवारी एवं राजस्व निरीक्षक द्वारा किसी सक्षम अधिकार के आदेश के बिना मौके पर उसके कब्जे के विपरीत नक्शे में तरमीम कर दी है। अतः गलत तरमीम किये गये प्लॉट को संशोधित कर विक्रय पत्र एवं मौके पर कब्जे के अनुसार तरमीम किया जाय। तहसीलदार सिरमौर द्वारा जांच उपरांत अपने आदेश दिनांक 04/11/2010 द्वारा गैरनिगरानीकर्ता छोटेलाल द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र निरस्त किया गया।

तहसीलदार के उक्त आदेश से व्यथित होकर गैरनिगरानीकर्ता छोटेलाल द्वारा अपर कलेक्टर रीवा के न्यायालय में निगरानी

(३)

239

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर  
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

प्रकरण क्रमांक निगा. 3616/प्र.श. 1/18 जिला- रीवा

मुरदा धोबी विरुद्ध दोरेनाल खेड़ा

(1)	(2)
17-1-19	<p>1. आवेदक की ओर से श्री. <u>राजजीत किवरी</u> अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी कलेक्टर/ अपर कलेक्टर, जिला- <u>रीवा</u> के प्रकरण क्रमांक <u>185/36/15-16</u> में पारित आदेश दिनांक <u>27-4-18</u> के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कमिश्नर, रीवा संभाग रीवा के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। उभयपक्ष दिनांक <u>29-3-19</u> को कमिश्नर, रीवा संभाग रीवा के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हो।</p> <p style="text-align: right;"><u>सदस्य</u></p>